

F-07-08 F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF DEFENCE मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु MARATHAHALLI COLONY P.O. BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1515 का संशोधन सहित नवीकरण Amendment Cum Renewal of Type Approval No. 1515

विषय / Sub: फ्यूल कंटेन्ट गेज (एफसीजी), एफ1-ए/बी प्रोब, पार्ट सं. 1873 00 000

Fuel Content Gauge (FCG), F1-A / B Probe, Part No.: 1873 00 000

यह घोषित किया जाता है कि एरोस्पेस सिस्टम्स एंड इक्किपमेंट्स आर एंड डी सेंटर (ए एस ई आर डी सी), मेसर्स एच ए एल, लखनऊ- 226 016 द्वारा अभिकल्पित एवं विकसित तथा मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, असेसरीज़ प्रभाग, बाराबंकी रोड, लखनऊ – 226 016 द्वारा उत्पादित "फ्यूल कंटेन्ट गेज (एफसीजी), एफ1-ए/बी प्रोब" पार्ट सं. 1873 00 000 को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1515, दिनांक 29 सितंबर 2010 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1515 जारी किया गया था और संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/52 टीए/अनुशेष-1, दिनांक 28 जून 2013 द्वारा संशोधन जारी किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2015 तक था।

This is to state that the "Fuel Content Gauge (FCG), F1-A/B Probe" bearing the Part No. 1873 00 000, designed and developed by Aerospace Systems & Equipment R & D Centre (ASERDC), M/s. HAL, Lucknow – 226 016 and manufactured by M/s. Hindustan Aeronautics Limited, Accessories Division, Barabanki Road, Lucknow – 226 016, was issued with Type Approval No.: 1515 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1515, Dated: 29th September 2010, and amendment issued vide Ref. No.: CEMILAC/5070/52 TAs/Adm-1, Dated 28th June 2013 with validity up to 31st December 2015.

उक्त वर्ग अनुमोदन सं. 1515 और उसके परिशिष्ट ' ए' में निम्नलिखित संशोधन लागू होगा / The following Amendment is effected in the subject Type Approval No. 1515 and its Appendix 'A'.

Wherever / For	Read as
Part No. : 1873 00 000, Issue 2	Part No.: 1873 00 000, Issue 3B

ਧੂਬ/Page 01 of 02

ਧੂਬ/Page 02 of 02 ਟੀ ए सं./TA No. 1515 F-07-08 F-07-11

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 सितम्बर 2016 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपृष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 30 सितम्बर 2021 तक वैध है बशर्ते इसे स्थिगत, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अविध समाप्त होने के तीन (3) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए(लखनऊ), लखनऊ, – 226 016, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st September 2016 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30th September 2021 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Lucknow), Lucknow – 226 016, Three (3) Months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1515, दिनांक 29 सितंबर 2010 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद 4 में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para four of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1515, Dated: 29th September 2010 is Amended as stated herewith.

" [अगर इस संलग्न टाइप रिकोर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमित लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]".

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

All other conditions stipulated in the initial type approval letter remain unaltered, and fully applicable.

सं./No. : सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1515/1R

दिनांक/Date : | ¶ September 2016

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता) Chief Executive (Airworthiness)